

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, फैजाबाद ।

पत्रांक:- 2696 फ़ै०क्ष०/१५ याता०(फ़ै०अ० वृत्त)/16

दिनांक :- 1.4.13

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद-अम्बेडकरनगर वृत्त, लो०नि०वि०, फैजाबाद द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-30) के किमी०-180.00 (चैनेज 179.800 से 180.00 के मध्य) के बांयी ओर ग्राम-अफजलपुर, परगना-अकबरपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या-872 में मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलिअम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. जनपद अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-30) के किमी०-180.00 (चैनेज 179.800 से 180.00 के मध्य) के बांयी ओर ग्राम-अफजलपुर, परगना-अकबरपुर, तहसील-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या-872 में मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलिअम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेपित मार्ग के मध्य रेखा से बांयी ओर 22.86 मीटर (75.00 फीट) के बाहर कराया जाय ।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 30 सेमी० नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये ।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके ।
4. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय ।
5. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय ।
6. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय । पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय ।
7. लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा ।
8. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय ।
9. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लो०नि०वि० पर नहीं होगी । भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन संबंधित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा ।
10. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलिअम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अम्बेडकरनगर द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा ।
11. एम०ओ०एस०टी० द्वारा जारी पत्रांक आर०डब्लू०/एन०एच०/33023/19/99-डी०ओ०-।।। दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आईआर०सी० कोड-12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी ।
12. प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष तक प्रारम्भ न होने पर स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी ।
13. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा ।

28/03/13

प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-4888 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0टी0-23/14 दिनांक 30.12.14 द्वारा विशेष सचिव, लो0नि0 अनु0-12 उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राजितराम, ग्राम मोतीगरपुर, पोस्ट-बसखारी, तहसील-टाण्डा, जिला-अम्बेडकरनगर पर बाध्यकारी होगा।

उपरोक्त अनुमति अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद-अम्बेडकरनगर वृत्त, लो0नि0वि0, फैजाबाद के पत्रांक 655/64 काम-फै0अ0 वृत्त/2016 दिनांक 18.03.17 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

६०

(आर0आर0सिंह),
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांक:- 2696 फै0क्षे0/1 याता0(फै0अ0 वृत्त)/16

दिनांक :- 14/3/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संलग्नक-डाइंग की एक प्रति में।

2. अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद-अम्बेडकरनगर वृत्त, लो0नि0वि0, फैजाबाद के पत्रांक 655/64 काम-फै0अ0 वृत्त/2016 दिनांक 18.03.17 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
फैजाबाद क्षेत्र, लो.नि.वि.
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

28/03/17